उत्तर प्रदेश सरकार

गृह विभाग

[पुलिस]

14 फरवरी, 1998 ई0

सं0 96/[illegible]-10--1-1300 (7)-94--संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2--नियम 5 का संशोधन--उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड (1)	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) कर्मशाला कर्मचारी ... सीधी भर्ती द्वारा	(1) कर्मशाला कर्मचारी ... (एक) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह "घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ऐसे व्यवसाय में से सुसंगत प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिए उपयोगी हो या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

3--नियम 13 का प्रतिस्थापन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। भर्ती के लिए शारीरिक स्तर वही होगा, जो कि पुलिस विनियमों में समतुल्य श्रेणियों के लिए दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को, जो कि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस विनियमों की अपेक्षानुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।	13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। भर्ती के लिए शारीरिक स्तर वही होगा, जो कि पुलिस विनियमों में समतुल्य श्रेणियों के पदों के लिए दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को, जो कि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, सीधी भर्ती के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस विनियमों के उपबन्धों के अनुसार स्वास्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। परन्तु यह कि कर्मशाला कर्मचारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में किसी शारीरिक स्तर और स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 96/VI-pu—1300 (7)-94, dated February 14, 1998:

No. 96/VI-pu—1300 (7)-94

February 14, 1998

In exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa Niyamawali, 1982 :

THE UTTAR PRADESH POLICE RADIO ADHINASTH SEWA (PRATHAM SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 1997.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa (Pratham Sanshodhan) Niyamawali, 1997.

2. (2) They shall come into force at once.

2. Amendment of Rule 5.—In the Uttar Pradesh Police Radio Adhinasth Sewa Niyamawali, 1982 hereinafter referred to as the said Niyamawali, in Rule 5, for the existing clause (1) set out in column 1 below, the clause as set out in column II shall be substituted, namely:

COLUMN I *Existing clause* (1)		COLUMN II *Clause* (1) *as hereby substituted*
(1) कर्मशाला कर्मचारी.	सीधी भर्ती द्वारा	(1) *Workshop Hand* —(1) 75 per cent by direct recruitment; (2) 25 per cent by promotion from amongst substantively appointed Group 'D' employees of the Uttar Pradesh Police Radio Branch who have passed High School Examination or equivalent certificate course from Industrial Technical Institute recognised by the Government in a trade which is useful for Police Radio 'Karmshala' or possess any other qualification equivalent thereto and have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

5. Substitution of Rule 13.—In the said Niyamawali, for Rule 13 set out in column 1 below, the rule as set out in column II shall be substituted namely :

COLUMN I

Existing Rule 13

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। भर्ती के लिए शारीरिक स्तर वही होगा, जो कि पुलिस नियमों में तत्सदृश श्रेणियों के लिए दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस नियमों की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

COLUMN II

Rule 13 as hereby substituted

Physical fitness—No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defects likely to interfere with the efficient performance of his duties. The physical standard for the recruitment shall be as laid down in the Police Regulations for equivalent categories of posts. Before a candidate, not already in permanent service of the Government, is finally approved for appointment he shall be required to produce Medical certificate of fitness in accordance with the provisions of the Police Regulations :

Provided that in case of recruitment by promotion to the post of "Workshop Hand", no physical standard and Medical certificate of fitness shall be required.

By order,

RAJEEVA RATNA SHAH,

Principal Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 18-4-98, भाग 1-क में प्रकाशित।

[illegible]

पी० एस० यू० पी०—1 सा० (गृह पुलिस)—21-4-98—100 (मेको)।